न्यायालय–अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण,
<u>जयपुर महानगर–प्रथम</u>

पीठासीन अधिकारी	:	**रिद्धिमा शर्मा,** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	:	**83 / 2023**
एफ.आई.आर. सं.	:	652 / 2022, पुलिस थाना सांगानेर, जयपुर

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक।

......अभियोजन पक्ष

बनाम

राजेश कुमार पुत्र प्रेमराज दिवाकर, उम्र 32 वर्ष, निवासी गांव छिबरामउ, थाना छिबरामउ, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश, हाल रोहित नगर–5, थाना जयसिंहपुरा खोर, जिला जयपुर।

.......अभियुक्त

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 376(2)(एन) भा.दं.सं.</u>

<u>उपस्थितः</u>–

1–श्री लखन लाल मीणा, विशिष्ट लोक अभियोजक राज. राज्य की ओर से।
2–सुश्री आरती कौशिक व श्री अमित कौशिक, अधिवक्तागण वास्ते अभियुक्त।

<u>:: निर्णय ::</u> **दिनांक : 22 मार्च, 2024**

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस एल पी (Cri.) नं. 5753 / 2005 दिनेश उर्फ बुद्धा बनाम राज. राज्य में 28 फरवरी, 2006 को पारित दिशा निर्देशों की पालना में अभियोक्त्री को उसके नाम के स्थान पर ''पीड़िता'' शब्द से सम्बोधित किया जा रहा है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पीड़िता द्वारा दिनांक 18.10.2022 को पुलिस उपायुक्त, जयपुर पूर्व के समक्ष एक टाईपशुदा रिपोर्ट इन तथ्यों की पेश की कि राजू उर्फ राजेश कुमार पीड़िता के छोटे भाई का परिचित था, जिसने उससे जान–पहचान कर उसे अच्छी कम्पनी में नौकरी लगाने के लिए कहा, जिस पर पीड़िता ने मना कर दिया। 10–15 दिन बाद मार्च, 2022 में

राजेश उसके भाई के पास आकर उसे जयपुर में ही बड़ी कंपनी का मैनेजर आने, उससे मिलवाने व जयपुर में ही कंपनी में अच्छी नौकरी लगाने की कहकर अपने साथ गौ–शाला के सामने श्योपुर रोड़ पर चंचल फर्नीचर के पास एक होटल में ले गया और कहा मैनेजर बड़ी होटल में रुके हैं, यहीं पर आयेंगे और उसे नास्ता करने के लिए कहा व कोल्ड ड्रिंक अपने हाथ से पिला दी। थोड़ी देर बाद उसे बेहोशी आने लगी और वह बेहोश हो गई। तीन–चार घंटे बाद उसे होश आया तो उसके सारे कपड़े पलंग पर साईड में पड़े थे व राजेश बाथरूम में नहा रहा था। उसने कपड़े पहने व बाथरूम को धक्का देकर खुलवाया, तो राजेश पूरा नंगा होकर नहा रहा था। पीड़िता के पेट व गुप्तांग में दर्द हो रहा था। वह रोने लगी, तो राजेश ने धमकी दी कि चुप हो जा, नहीं हुई तो तेरी बेटी व तुझे जान से खत्म कर दूंगा और तेरा सारा वीड़ियो बना लिया। राजेश ने उसका अश्लील वीड़ियो अपने मोबाइल में बनाया था, जिसमें राजेश उसके साथ गलत काम बलात्कार कर रहा था व उसकी नंगी तस्वीर खींच ली थी। उसने मोबाइल छीनकर तोड़ने का प्रयास किया, तो राजेश ने चांटा मारा और कहा उसने सब वीड़ियो, तस्वीर दूसरे मोबाइल पर सेंड कर दी। वह डर गई एवं राजेश उसे घर के बाहर छोड़ गया। तब से कई बार वीड़ियो वायरल करने व पुलिस में जाने पर उसकी बच्ची को जान से मारने की धमकी दी और अपने साथ शादी करने के लिए कहा। पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए कहा तो राजेश ने फोन कर अपने माता–पिता व भाइयों को बुला लिया, जिनको पीड़िता ने बलात्कार की बात बतायी, तो उन्होंने वीड़ियो डिलीट करवाने के लिए कहा और कहा कि यह तेरे लिए पागल हो गया है, कुछ समय दे, हम सब ठीक कर देंगे। इसी बीच राजेश ने एक दिन आकर बेटी को उठाकर ले जाने व वीड़ियो वायरल करने की धमकी देकर डराकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये और कहा कि अब मैं ही तेरा पति हूँ। राजेश के भाई व माता पिता ने कहा कि इससे तेरी शादी करवा देते हैं, तू इसके साथ रहने लग जा और राजेश उसके मकान का सारा सामान इंदिरा गांधी नगर किराये के मकान में ले गया। उसके जबरदस्ती कपड़े खोल देता और राजेश उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता। वह रोज तिल–तिल कर मर रही है। राजेश उसका देह शोषण मार्च, 2022 से होटल में बलात्कार करने के बाद से लगातार करता आ रहा है, इत्यादि।

3. उक्त टाईपशुदा रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सांगानेर, जयपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 652 / 2022 अंतर्गत धारा 376(2)(एन) भारतीय दंड संहिता में कायम कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा अनुसंधान के पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त राजेश कुमार के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एन) के तहत आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उक्त अपराध बाबत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरांत यह प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

4. बहस आरोप सुनने के उपरांत अभियुक्त राजेश कुमार को भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एन) के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाकर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने अपराध करने से इन्कार किया व अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में निम्न गवाह पेश कर परीक्षित करवाये गये :–

पी.डब्ल्यू संख्या	गवाह का नाम व संबंध
पी.डब्ल्यू–1	डॉ. कन्हैयालाल शर्मा, मेडिकल विशेषज्ञ
पी.डब्ल्यू–2	पीड़िता
पी.डब्ल्यू–3	डॉ. सरिता, मेडिकल विशेषज्ञ
पी.डब्ल्यू–4	हरि सिंह, अनुसंधान अधिकारी

6. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गये :–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण दस्तवेज
1.	प्रदर्श पी–1	मेडिकल रिपोर्ट अभियुक्त
2.	प्रदर्श पी–2	मेडिकल रिपोर्ट पीड़िता
3.	प्रदर्श पी–3	टाईपशुदा रिपोर्ट
4.	प्रदर्श पी–4	चाक एफ.आई.आर.

5.	प्रदर्श पी–5	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल
6.	प्रदर्श पी–7	पीड़िता द्वारा दिया जवाब नोटिस
7.	प्रदर्श पी–8	पीड़िता के धारा 164 द.प्र.सं. के बयान
8.	प्रदर्श पी–9	सम्मन पीड़िता
9.	प्रदर्श पी–10	आदेशिका न्यायालय
10.	प्रदर्श पी–11	पुलिस बयान पीड़िता
11.	प्रदर्श पी–12	पीड़िता के धारा 164 द.प्र.सं. के बयान हेतु लिखा पत्र
12.	प्रदर्श पी–13	पीड़िता को दिया नोटिस
13.	प्रदर्श पी–14	होटल प्रबंधक को लिखा पत्र
14.	प्रदर्श पी–15	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
15.	प्रदर्श पी–16	प्राप्ति रसीद एफ.एस.एल.

7. अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त के अभिकथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा कथन किया कि वह निर्दोष है। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य–सफाई पेश नहीं की गई।

8. दोनो पक्षों की बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

(1) क्या अभियुक्त राजेश कुमार ने दिनांक 08 मार्च, 2022 को किसी समय पीड़िता को नौकरी लगवाने के बहाने गौशाला के सामने श्योपुर रोड़ पर चंचल फर्नीचर के पास स्थित एक होटल में ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी इच्छा व सहमति के बिना उसके साथ जबरन बलात्कार किया तथा उसके पश्चात् उसकी बेटी को जान से मारने एवं उसके अश्लील वीड़ियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ भिन्न–भिन्न दिनांक को भिन्न–भिन्न स्थानों पर उसकी इच्छा व सहमति के बिना जबरन बार–बार बलात्कार किया ?

––376(2)(एन) भा.द.सं.

(2) यदि हॉ तो उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

9. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने तर्क दिया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का कथन रहा है कि अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में स्वयं पीड़िता पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुई है, जिसने अभियोजन कहानी का लैशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। मेडिकल साक्ष्य से भी पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

11. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

12. प्रकरण की महत्वपूर्ण गवाह स्वयं पीड़िता पी.डब्ल्यू–1 पूर्णतया पक्षद्रोही हुई है और न्यायालय में अपने मुख्य परीक्षण में ही सशपथ कथन किए हैं कि अभियुक्त राजेश से करीब डेढ़–दो साल पहले उसकी जान–पहचान हुई, जो उसके भाई का दोस्त था, जो उनके घर पर आता–जाता रहता था। इस कारण उसकी राजेश से जान–पहचान हो गई। उसकी और अभियुक्त राजेश की शादी की बात चली थी। उसके साथ अभियुक्त राजेश ने जबरदस्ती बार–बार बलात्कार नहीं किया। शादी की बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई, इसलिए उसने इसके खिलाफ लिखित रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 है, जिसकी चाकशुदा एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–4 है। उसके सामने पुलिस ने नक्शा मौका नहीं बनाया। नक्शा मौका प्रदर्श पी–5 है। उसका बलात्कार संबंधित मेडिकल हुआ था, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 है। पुलिस के द्वारा उसे कपड़े पेश करने बाबत नोटिस दिया गया, जिसका जवाब प्रदर्श पी–7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर व जवाब है। उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान प्रदर्श पी–8 हुये थे। न्यायालय का सम्मन प्रदर्श पी–9, न्यायालय की

आदेशिका प्रदर्श पी–10 है। इन फर्दों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस में उसके बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–11 के ए से बी भाग में घटना से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण तथ्य पुलिस को लिखवाने से इन्कार किया है। रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 वह खुद ही टाईप करवाकर लायी थी। अभियुक्त राजेश द्वारा दिनांक 08.03.2022 को या उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करने के तथ्य को गलत बताया है।

13. प्रतिपरीक्षण में उक्त पीड़िता ने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान पुलिस के कहने से दिए थे। नक्शा मौका पर पुलिस ने उसके खाली कागजों पर साईन करवाए थे। रिपोर्ट ई–मित्र वाले ने टाईप करके दी थी, जिसमें क्या लिखा, उसे पता नहीं। पुलिस में रिपोर्ट हो गई थी इसलिए पुलिस ने कहा था कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी यही बयान देना। रिपोर्ट दर्ज करवायी तब मानसिक अवसाद में थी। अभियुक्त राजेश ने उसके साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया, न ही कोई जबरदस्ती की। प्रदर्श पी–11 पुलिस ने ही लिखे थे। क्या लिखा, उसे पता नहीं।

14. गवाह पी.डब्ल्यू–1 डॉ. कन्हैयालाल शर्मा, मेडिकल विशेषज्ञ ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि उन्होंने दिनांक 22.10.2022 को सैटेलाइट हॉस्पिटल, सांगानेर में चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थापित रहते हुए पी.एस. सांगानेर के प्रतिवेदन पर अभियुक्त राजेश कुमार का पुरुषत्व संबंधी मेडिकल मुआयना किया, जो प्रदर्श पी–1 है, जिस पर अभियुक्त के पहचान चिन्ह्, सहमति, हस्ताक्षर एवं गवाह की राय व हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। परीक्षण के दौरान तीन सैम्पल लिये गये। सैम्पल ए ब्लड़ ऑन ड्राइड गॉज पीस, सैम्पल बी सलाईवा ऑन गॉज पीस, सैम्पल सी एफ.टी.ए. कार्ड पर खून के नमूने डी.एन.ए. परीक्षण हेतु लिये जाकर सील्ड कर मुकेश कुमार कानि. थाना सांगानेर को सुपुर्द किये गये। उनकी राय के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त राजेश कुमार संभोग करने में असक्षम हो। फिर भी अंतिम राय एफ.एस.एल. रिपोर्ट आने पर दी जा सकेगी। प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने कहा कि अभियुक्त के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे।

15. गवाह पी.डब्ल्यू–2 डॉ. सरिता, मेडिकल विशेषज्ञ ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि उन्होंने दिनांक 19.10.2022 को राजकीय सैटेलाईट अस्पताल, सांगानेर में पदस्थापित रहते हुए पी.एस. खो–नागोरियान के प्रतिवेदन पर पीड़िता का बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना उसकी सहमति से किया। मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी–2 है, जिस पर पीड़िता के पहचान चिन्ह, सहमति व हस्ताक्षर तथा गवाह की राय व हस्ताक्षर है। दौराने परीक्षण कोई आंतरिक व बाहरी चोट के निशान नहीं थे। हाइमन ओल्ड टोर्न हील्ड था। परीक्षण के दौरान दो वैजाइनल स्मेयर व एक वैजाइनल स्वाब, एक ब्लड़ ऑन ड्राई गॉज, एक स्लाइवा ऑन ड्राई गॉज, एक ब्लड़ ऑन एफ.टी.ए. कार्ड, सभी सैम्पल लिए गए, जिन्हें सील्ड कर संबंधित पुलिसकर्मी को सुपुर्द किया। तात्कालिक संभोग के बारे में राय एफ.एस.एल. की रिपोर्ट आने तक के लिए रिजर्व रखी गई। प्रदर्श पी–2 पर एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है।

16. प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने कहा कि पीड़िता के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। तहरीर कौन लेकर आया, उसका नाम याद नहीं। प्रदर्श पी–2 में पीड़िता के साथ घटना किसने की, इसका विवरण नहीं है।

17. गवाह पी.डब्ल्यू–4 हरि सिंह अनुसंधान अधिकारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि उन्हें दिनांक 18.10.2022 को थाना सांगानेर पर थानाधिकारी के पद पर तैनात रहते हुए जरिये डाक डी.सी.पी. पूर्व जयपुर से एक परिवाद 154(3) द.प्र.सं. का थाने पर प्रदर्श पी–3 प्राप्त हुआ, जिस पर कार्यवाही पुलिस अंकित कर मु.नं. 652/2022 धारा 376(2)(एन) भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। चाकशुदा एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–4 है। दौराने अनुसंधान पीड़िता के धारा 161 द.प्र.सं. के बयान उसके कहेनुसार महिला कानि. मोजन्ती द्वारा लिखवाये गये थे। घटनास्थल का नक्शा मौका पीड़िता की निशादेही से प्रदर्श पी–5 बनाया, पीड़िता का बलात्कार सबंधी मेडिकल करवाकर रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 शामिल पत्रावली की। पीड़िता के धारा 164 द.प्र.सं. के बयान करवाने के लिए सी.जे.एम., जयपुर महानगर–प्रथम को एक प्रार्थना–पत्र प्रदर्श पी–12 पेश किया। पीड़िता के धारा 164 द.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी–8 करवाये गये। न्यायालय की आदेशिका प्रदर्श पी–10 है। पीड़िता को अपने पहने हुए कपड़े व

अश्लील वीड़ियो पेश करने बाबत् धारा 91 द.प्र.सं. का नोटिस प्रदर्श पी–13 दिया। पीड़िता का जबाव प्रदर्श पी–7 है। ओम शिव रेस्टोरेंट एण्ड गेस्ट हाउस से रिकार्ड प्राप्त किया, जिसके सबंध में होटल मालिक को नोटिस प्रदर्श पी–14 दिया गया। अभियुक्त राजेश कुमार के विरूद्व धारा 376(2)(एन) भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित पाया जाने से उसे जरिये फर्द प्रदर्श पी–15 गिरफ्तार कर उसका पुरूषत्व सबंधी मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी–1 करवाया। प्रकरण में दो सील्डशुदा सैम्पल जितेन्द्र कुमार कानि. द्वारा एफ.एस.एल. में जमा करवाये गये थे, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–16 है। गवाह द्वारा अभियुक्त राजेश कुमार के विरूद्व अपराध धारा 376(2)(एन) भा.द.सं. का प्रमाणित पाया गया परन्तु उनका स्थानान्तरण होने से पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए महेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की गई, जिनके द्वारा जितेन्द्र कुमार कानि. के धारा 161 द.प्र.सं. में बयान लेखबद्व किये गये। अभियुक्त राजेश कुमार के विरूद्व धारा 376(2)(एन) भा.द.सं. में चार्जशीट महेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक द्वारा किता की गई थी, जिनके हस्ताक्षर गवाह साथ काम करने के कारण पहचानता है।

18. प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने कहा कि परिवाद प्राप्त होने से पहले पीड़िता थाने पर नहीं आयी थी। पीड़िता को धारा 164 द.प्र.सं. के बयान कैसे दिए जाने हो, यह उन्होंने नहीं बताया। मामूली कहासुनी की वजह से मुकदमा दर्ज करवाने की बात अनुसंधान में आने से इन्कार किया है। समस्त अनुसंधान थाने पर बैठकर नहीं किया।

19. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी स्वयं पीड़िता है, जो पूर्णतया पक्षद्रोही हुई है, जिसने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त उसके भाई का दोस्त होने से उनके घर आता–जाता था, जिस कारण उससे जान–पहचान हो गई और उसकी अभियुक्त से शादी की बात चली थी। अभियुक्त ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार नहीं किया। शादी की बात को लेकर कुछ कहासुनी होने पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी–11 में घटना से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण तथ्य पुलिस को देने से इन्कार किया है तथा अपने धारा 164 द.प्र.सं. के बयान पुलिस के कहने से देना बताते हुए कथन किए हैं कि अभियुक्त राजेश कुमार द्वारा दिनांक 08.03.2022 को या उसके बाद उसके

साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार नहीं किया। नक्शा मौका पर पुलिस द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाना कहा है तथा रिपोर्ट ई–मित्र वाले द्वारा टाईप करना कहा है और उसमें क्या लिखा है, इसकी जानकारी होने से इन्कार किया है तथा रिपोर्ट करवाते समय मानसिक रूप से अवसाद में होना कहा है। अभियुक्त राजेश ने उसके साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया, न ही कोई जबरदस्ती की। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार अभियुक्त व पीड़िता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। तात्कालिक संभोग के बारे में राय एफ.एस.एल. रिपोर्ट आने तक रिजर्व रखी गई थी तथा कोई एफ.एस.एल. रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मेडिकल साक्ष्य से भी पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार के तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। कोई अश्लील फोटो या वीड़ियो न तो पीड़िता द्वारा पेश किए गए हैं, न ही अनुसंधान के दौरान प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसी अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियोजन कहानी का समर्थन होता हो।

20. इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर एवं उसके पश्चात् उसके अश्लील वीड़ियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसकी इच्छा व सहमति के बिना जबरन बार–बार बलात्कार करने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त राजेश कुमार आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 376(2)(एन) भा.द.सं. के आरोप से संपुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

:: <u>आदेश</u> ::

21. परिणामतः अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र प्रेमराज दिवाकर, उम्र 32 वर्ष, निवासी गांव छिबरामउ, थाना छिबरामउ, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश, हाल रोहित नगर–5, थाना जयसिंहपुरा खोर, जिला जयपुर को आरोपित अपराध अर्न्तगत धारा 376(2)(एन) भा.द.सं. के आरोप से संपुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

22. अभियुक्त की ओर से दं.प्र.सं. की धारा 437ए के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत–मुचलके नियमानुसार अपील की अवधि तक प्रभावी रहेंगे। अभियुक्त

की उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जावें।

23. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पीड़ित पक्ष को धारा 357ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिकर दिलाये जाने हेतु अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रतिकर बाबत अनुशंसा नहीं की जाती है।

(रिद्धिमा शर्मा)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
महिला उत्पीड़न प्रकरण,
जयपुर महानगर–प्रथम

24. निर्णय आज दिनांक 22 मार्च, 2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिद्धिमा शर्मा)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
महिला उत्पीड़न प्रकरण,
जयपुर महानगर–प्रथम